राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ.4(ई) (1) (6)/ अलेसे–III/ दिनांक :– 24.6.2013

आदेश संख्या 111 /2013–14

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन कनिष्ठ लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रू0 10000/– प्रतिमाह के स्थाई पारिश्रमिक पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्ण होने के पश्चात् पे–बेण्ड (2) 9300–34800 में ग्रेड पे 3200 एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संबंध में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उनके द्वारा उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता हैं तथा आदेश दिये जाते है कि वे निम्नांकित तालिका में उनके सामने अंकित विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करें :–

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	नाम / पिता का नाम सर्वश्री	श्रेणी	जन्मतिथि	पदस्थापन कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	54	अमित जैन (रोल नं0 101284)	Gen	11.05.1985	कोषालय, बाड़मेर	रिक्त पद पर

उपरोक्त अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन दी जा रही है :–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
2. यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तो के अध्यधीन है ।
3. यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, आरक्षी, सी.आई.डी. (सीबी) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण– पत्र प्राप्त होने की शर्त पर है।
4. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
5. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुतीर्ण होने पर इन्हें उक्त सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते यथा (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होगें ।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
8. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं हैं तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी ।
9. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है परन्तु राज्य सरकार इन्हें विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण/अर्हता प्राप्त कर लेने पर एवं अन्य रूप से स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब भी उपयुक्त स्थायी रिक्त पद उपलब्ध होगें इनको राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थायी आधार पर नियुक्त कर सकेगी ।
10. उक्त नियुक्तियॉं माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलब्धियां एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दो गुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिवस में यथासमय निश्चित रूप से उपस्थिति देकर इस विभाग को सूचित करेगें अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें ।

निदेशक

RPSC prakash 08-01-2013

क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6)/अलेसे–III/ 7004– 7010 दिनांक :– 24.6.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क–3) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. निदेशक, ह.च.मा.राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान, जयपुर ।
5. विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष..को प्रेषित कर लेख है कि वे संबंधित कार्मिक की कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावे ।
6. श्री.. .... को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण सूचना प्रेषित करावें ।
7. निजी सहायक, निदेशक ।
8. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु) ।
9. रक्षित/निजी पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–II)

RPSC prakash 08-01-2013